ont>

Title: Need to enact a legislation for holding election in Cantonment Boards.

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, देश में 65 कैन्टोनमैंट बोर्ड हैं। सब कैन्टोनमैंट बोर्ड का कार्य प्रशासकीय ढंग से चल रहा है। लोकशाही के चुनाव होने वाले हैं। मैंने ढाई र्वा पहले सवाल उठाया था कि कैन्टोनमैंट बोर्ड के लिए कानून बनाना चाहिए और लोकशाही द्वारा चुनाव होने चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। उसके लिए दो व्यक्ति नौमीनेट करने हैं और दो मैम्बर बनाने हैं। वह भी अभी तक नहीं किया गया है। मेरी प्रार्थना है कि इसके लिए जल्दी से कानून बनाया जाए और व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए।